हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। विद्वान अधिवक्ता बहस प्रा0 पत्र O-7-R-11 धारा 151 CPC की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने प्रा0पत्र O-7-R-11 में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि खसरा नं. 250/11, 250/12, 250/15, 250/8 वाके ग्राम [illegible] में स्थित है जिसमें वादी खातेदार काश्तकार नहीं है एवं प्रतिवादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है उन्होंने वादी विक्रय इकरारनामे को लेकर पेश किया था माननीय न्यायालय विक्रय इकरारनामे के आधार पर किसी भी खातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं कर सकता है। विक्रय इकरारनामे के सम्बन्ध में वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है इसलिए वाद विधि वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है वादी का उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं होने के कारण कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद खारिज किये जाने योग्य है। विक्रय इकरारनामे की पालना का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है अतः प्रार्थना पत्र O-7-R-11 धारा 151 CPC स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रा0पत्र O-7-R-11 धारा 151 का जवाब पेश कर जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी
	करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि का वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। प्रार्थी द्वारा वाद वर्णित भूमि बेचान किये जाने व तथ्य न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश निवाई के विचाराधीन वाद उनवानी बाबत कार्य वजोह में पेश जवाब दावे में अंकित किये गये हैं। इसी कारण प्रार्थी के पास माल रिकार्ड में अंकित ही है। वाद वर्णित भूमि के संबंध में सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश निवाई में इकरारनामा निरस्ती व न्यायालय ADJ निवाई में इकरारनामा की पालना व इकरारनामा निरस्ती के वाद लम्बित है। प्रार्थी द्वारा सिविल वाद में चाहे गए अनुतोष से अलग इस्तगासा वाद में चाहा गया है उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा की प्रकृति का है उद्घोषणा की प्रकृति का नहीं है वादी द्वारा वाद वर्णित भूमि को जरिये इकरारनामा क्रय कर लिया है। और पालना का वाद सिविल न्यायालय में लम्बित एवं विचाराधीन है वादी का अनुतोष सिविल न्यायालय से भिन्न प्रकार का अनुतोष होने से उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अतः विप का प्रार्थना पत्र O-7-R-11 वाला खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
विद्वान अधिवक्तागण आवेदक/अप्रार्थीगण की बहस को सम्पूर्ण मनोयोग से सुना गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जरिये विक्रय इकरारनामा के आधार पर पेश किया गया है। इकरारनामा का रजिस्ट्रेशन व अवयस्कता [illegible] के रजिस्ट्रेशन में नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 07 रूल 11 धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना-पत्र 07 रूल 11 धारा 151 CPC स्वीकार होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील (?) [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	